बोर्ड की विविधता नीति

1. उद्देश्य

1.1 विनियम 19(4) के तहत आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और आवश्यकताओं का प्रकटीकरण) विनियम, 2015, जैसा समय-समय पर संशोधित होता है। (''सूचीबद्ध विनियम'') की अनुसूची ।। के भाग घ के अनुच्छेद क के उप-खड(3) के साथ पढ़ें और ऐसे अन्य विनियामक प्रावधान, कंपनी के नामांकन और पारिश्रमिक समिति (''एनआरसी'') को लागू करने के (लिस्टिंग, दायित्व और लिए आवश्यक है कि निदेशक मंडल में विविधता लाने के लिए एमएसटीसी लिमिटेड(''एमएसटीसी'' या ''कंपनी'') के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') पर विविधता होने हेतु आवश्यक है।

2. परिचय

2.1 बोर्ड की विविधता विभिन्न कारकों को संभालने, व्यवसाय का वैश्वीकरण, प्रोद्योगिकी का तेजी से परिनियोजन, अधिक सामाजिक जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट प्रशासन पर जोर देना, जोखिम प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता, आदि के लिए महत्वपूर्ण है ताकि एमएसटीसी के व्यवसाय के प्रभावी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाया जा सके और व्यवसाय की बदलती गतिशीलता के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वातावरण निर्माण करना।

2.1 बोर्ड विविधता भावी विस्तार है, न कि विभिन्न विविध लक्षणों का मात्र समावेशन, इससे संगठन लाभान्वित होगी। एमएसटीसी का मानना है कि एक विविध बोर्ड स्थायी और संतुलित विकस प्राप्त करने के लिए आवश्यक बोर्ड के विभिन्न कौशल योग्यता, अनुभव, ज्ञान आदि का उपयोगकरके बोर्ड द्वारा किए गए निर्णय की गुणवत्ता को बढ़ाएगा।

3. आवेदन क्षेत्र

3.1 नीति केवल बोर्ड के सदस्यों पर लागू होगी न कि कंपनी के कर्मचारी पर।

4. प्रभावी तिथि

यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी। जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

5. नीति विवरण

5.1 कंपनी अधिनियम, 2013, यथासंशोधित और इसके तहत बनाए गए नियम(''कंपनी अधिनियम'') सूचीबद्ध विनियमों के साथ पढ़े जाते हैं, यथासंशोधित, बोर्ड, और एनसीआर को योग्यता सकारात्मक विशेषताओं और

निदेशकों की स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता होती है।

5.2 वर्तमान में कंपनी का पश्चिम बंगाल, भारत में अपना पंजीकृत कार्यालय है। इसके क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय पूरे भारत में स्थित है। इसलिए इसने एक वैविध्यपूर्ण बोर्ड होने के लाभों को पहचाना और ग्रहण किया है। तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में बोर्ड स्तर पर बढ़ती वैविध्यमयता की तलाश करता है। यह माना जाता है कि बोर्ड व्यवसाय के लिए प्रासंगिक अनुवभव के विस्तृत श्रृंखला के साथ उपयुक्त लोगो से बनाया गया, एमएसटीसी की प्रभावी कार्पोरेट प्रशासन और निरंतर व्यवसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

5.3 एक वास्तविक वैविध्यमय बोर्ड में कुशल और औद्योगिक अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य भेदों के बीच के अंतर शामिल होंगे और उनका उपयोग किया जाएगा।

5.4 एमएसटीसी के संसथा के अंतर्नियम (''एशोसिएशन ऑफ आर्टिकल'') के अनुसार, एमएसटीसी भारत सरकार के (''भारत सरकार'') उद्यम की सभी बोर्ड नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा योग्यता मसलन व्यक्तिगत उम्मीदवार में कौशल, अनुभव, स्वतंत्रता और एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है और उम्मीदवार को वस्तुनिष्ठ मानदंडों के तहत लिया जाता है, जिसमें बोर्ड पर विविधता के लाभों के साथ-साथ एमएसटीसी के संचालन के लिए उम्मीदवारों का योगदान होगा, जिसे बोर्ड का पूरी तरह से क्रम में प्रभावी बनाना आवश्यक होगा।

5.5 भारत सरकार द्वारा एक बार नियुक्त किए जाने पर, नियुक्तियों को बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड में लिया जाता है। भारत सरकार सामान्य रूप से कौशल योग्यता, आयु, पेशे और उद्योग, अनुभव एवं विशेषज्ञता में अच्छा उपयोग करती है, जिसमें न सिर्फ जाति, पंथ, धर्म, विकलांगता, लिंग और संस्कृति को महत्व नहीं दिया जाता है। एनआरसी उम्मीदवारों को सक्रिय रूप से विचार करके बोर्ड रिक्तियों को संबोधित करने की कोशिश करेगा, जो संबंधित विशेषज्ञता और अनुभव के साथ पात्र उम्मीदवारों के बीच पृष्ठभूमि और राय की विविधता लाते हैं और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु विचार के लिए भारत सरकार को उनके नाम की संस्तुति करता है।

5.6 उपरोक्त मानदंडों के आधार पर एक वैविध्यमय बोर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित बिन्दुओं का आंकलन होना चाहिए।

क) संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों की कुल संख्या होगी।

ख) बोर्ड के पास कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए और बोर्ड के 50 प्रतिशत से कम गैर-कार्यकारी निदेशक नहीं होने

चाहिए और लागू विधि के तहत बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए।

ग) जब बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक होता है, तो बोर्ड के कम से कम एक तिहाई भी स्वतंत्र निदेशक होते हैं और जब कंपनी में नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होता है या जब नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष एक प्रमोटर या प्रमोटर से संबंधित होता है या बोर्ड के स्तर पर प्रबंधन पद पर आसीन या बोर्ड के एक स्तर नीचे बोर्ड में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

घ) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करते समय, प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए।

ङ) किसी व्यक्ति के उम्मीदवारी का निर्धारण करते समय अन्य कंपनियों के निर्देशन को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

च) बोर्ड की समग्र रचना में संस्था के अंतर्नियम, कंपनी अधिनियम, सूचीबद्ध विनियम और एमएसटीसी की वैधानिक, विनियामक और अनुबंध संबंधी बाध्यताओं के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

6. हितधारको की विविधता

6.1 कंपनी अधिनियम की धारा 151 के प्रावधानों के अधीन कंपनी 1000 शेयरधारको से कम या ऐसे शेयरधारकों की कुल संख्या के दसवें हिस्से की सूचना पर जो भी कम हो छोटे शेयरधारको द्वारा छोटे शेयरधारको के निदेशक को चुना जाता है।

पूर्वोक्त खंड के प्रयोजन के लिए ''लघु अंशधारक'' का अर्थ है कि एक अंशधारक जो 20000 रुपए से अधिक के नाम मात्र मूल्य के शेयरों को धारण करता है या कंपनी अधिनियम के तहत ऐसे मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

7. गौण उद्देश्य

7.1 एनआरसी बोर्ड पर विविधता प्राप्त करने के लिए सभी गौण उद्देश्यों पर चर्चा और सहमति देगा और उन्हें अपनाने के बोर्ड को सिफारिश करेगा। किसी भी समय बोर्ड अपनी विविधता के एक या अधिक पहलूओं को सुधारने और तदनुसार प्रगति को मापने की कोशिश करता है।

8. निगरानी और रिपोर्टिंग

8.1 नीति जैसा कि यहां वर्णित और लागू है का खुलासा एमएसटीसी की वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा। सार्वजनिक सूचना हेतु एमएसटीसी के वेबसाईट पर नीति का प्रकटीकरण भी होगा।

9. नीति की समीक्षा

9.1 एनआरसी सलाना नीति की समीक्षा करेगा, जिसमें इस नीति की प्रभावशीलता शामिल होगा। बोर्ड की संरचना की समीक्षा करने में एनआरसी विविधता सहित सभी पहलूओं के लाभों पर विचार करेगा लेकिन उपरोक्त तक सीमित नहीं है, ताकि इसके प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने में सक्षम किया जा सके।

9.2 एनआरसी बोर्ड की ओर से बोर्ड की संरचना का भी मूल्यांकन करेगा और नए निदेशकों की नियुक्ति उनकी योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के आधार पर केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश करेगा।